न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : राजेन्द्र सिंह चांदावत, आर0ए0एस0

खाद्य सुरक्षा परिवाद सं. 48/2023

प्रार्थी –
राजस्थान सरकार जरिये
खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर

बनाम

अप्रार्थी –
दिनेश पुत्र तिलोक चंद जाति ब्राहमण निवासी रामसर जिला बाड़मेर (मैसर्स शर्मा भोजनालय, मैन रोड़, रामसर विक्रेता एवं मालिक)

परिवाद अन्तर्गत धारा 26(2)(ii) सहपठित धारा 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006

उपस्थिति :–

1. अभियोजन अधिकारी प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री गौरव खत्री, अधिवक्ता अप्रार्थी की ओर से उपस्थित।

आदेश

दिनांक : 26.05.2025

1. प्रार्थी की ओर से यह परिवाद खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा धारा 26 की उप धारा (2)(ii) के उल्लंघन के फलस्वरूप धारा 51 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत परिवाद के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि प्रार्थी ने दौराने गश्त दिनांक **26.05.2023** को अप्रार्थी के प्रतिष्ठान **शर्मा भोजनालय, मैन रोड़, रामसर** के निरीक्षण के दौरान **दही (गाय के दूध से बना)** जो कि एक डीप फ्रीज में लगभग 15 लीटर एक प्लास्टिक के केन में भरा हुआ विक्रय हेतु रखा गया खाद्य पदार्थ **दही (गाय के दूध से बना)**, को मिलावट का होने के शक पर नियमानुसार **500–500 ग्राम दही (गाय के दूध से बना)** वास्ते नमूना क्रय किया जाकर नमूना संख्या **पी–2064** अंकित कर इसकी जांच खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत कराये जाने हेतु प्रपत्र–5(ए) भरकर अप्रार्थी एवं गवाह [illegible] के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त खाद्य पदार्थ **दही (गाय के दूध से बना)** [illegible] वास्ते जांच खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ **दही (गाय के दूध से**

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Singh Chandawat
Date: 2025.06.20 10:42:05 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

बना) का नमूना **अवमानक (Sub-standard)** पाये जाने पर अप्रार्थी को जरिये नोटिस सूचना दी गई, जिस पर अप्रार्थी द्वारा कोई जवाब ऐतराज प्रस्तुत नहीं किया गया। इस पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा यह परिवाद प्रस्तुत कर अप्रार्थी को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माना से दण्डित करने का निवेदन किया है।

2. अप्रार्थी को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी जरिये अधिवक्ता उपस्थित। अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा अपने जवाब में पेश किया गया कि The dahi which is being seized and tested is not sub-standard nor bad for health. The dahi which is taken into sample is of best quality and the officer on duty with malafide intent and in order to make the case did the testing with wrong intention and with wrong procedure and also without proper knowledge. The dahi which has been tested infront of the independent witness as being stated in the complaint is totally done to do abuse of law. The officer on duty never explained the procedure nor does could satisfy the scientific reasoning of the dahi. It is therefore prayed that our lordship may graciously be pleased to accept the reply and dismiss the complete complaint based on wrong and fraudulent and abuse of process.

3. हमने प्रस्तुत परिवाद पर अभियोजन अधिकारी एवं अधिवक्ता अप्रार्थी की बहस सुनी गई। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत परिवाद का अवलोकन किया एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी द्वारा कारित अपराध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जुर्माना से दण्डनीय है तथा खाद्य पदार्थों से सम्बन्धित सुरक्षा मानकों के प्रति उदासीनता मानव स्वास्थ्य के प्रति गम्भीर अपराध की श्रेणी में माना गया है। अप्रार्थी के प्रतिष्ठान से लिये गये खाद्य पदार्थ नमूना की खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर से प्राप्त नमूना जांच रिपोर्ट दिनांक **06.06.2023** में उक्त नमूना **अवमानक (Sub-standard)** खाद्य का पाया गया है। इस पर अप्रार्थी को पदाभिहीत अधिकारी द्वारा नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया इसके बावजूद [illegible]रा कोई जवाब/उजर प्रस्तुत नहीं किया गया। प्रयोगशाला जांच रिपोर्ट अनुसार **Milk fat मानक स्तर न्यूनतम 3.2% के मुकाबले में 1.85%** एवं **Milk Solids not fat मानक स्तर न्यूनतम 8.3% के मुकाबले में 7.25%** पाया गया जो कि मानक स्तर का नहीं है। यह

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Singh Chandawat
Date: 2025.06.20 10:42:05 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर (राज.)
सत्यमेव जयते

न्याय निर्णयन अधिकारी एव
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

परिवाद प्रस्तुत होने पर जरिये नोटिस जवाब हेतु अप्रार्थी को तलब किया गया। अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा अपने जवाब में पेश किया गया कि The dahi which is being seized and tested is not sub-standard nor bad for health. The dahi which is taken into sample is of best quality and the officer on duty with malafide intent and in order to make the case did the testing with wrong intention and with wrong procedure and also without proper knowledge. The dahi which has been tested infront of the independent witness as being stated in the complaint is totally done to do abuse of law. The officer on duty never explained the procedure nor does could satisfy the scientific reasoning of the dahi. It is therefore prayed that our lordship may graciously be pleased to accept the reply and dismiss the complete complaint based on wrong and fraudulent and abuse of process. इस प्रकार खाद्य पदार्थों की मानकता के स्तर का नहीं होने से उसकी गुणवता के लिए उसका उत्तरदायित्व खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के अन्तर्गत अप्रार्थी का है। लिहाजा अप्रार्थी के विरूद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्म प्रमाणित है।

4. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन उपरांत अप्रार्थी के विरूद्ध अपराध धारा 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 प्रमाणित होने से अप्रार्थी पर अपराध की गम्भीरता को देखते हुए अप्रार्थी पर **रूपये 3,000/—** का जुर्माना अधिरोपित किया जाता है। अप्रार्थी उक्त जुर्माना राशि का बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर के नाम पेश करें, जो पेश होने पर सम्बन्धित अधिकारी को राजकोष मे जमा करवाने हेतु भिजवाया जावें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों।

5. आदेश आज दिनांक 26.05.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajendra Singh Chandawat
Date: 2025.06.20 10:42:05 IST
Reason: SelfAttested

(राजेन्द्र सिंह चांदावत)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर